

26.12.18

सरकारी परोवार 377 वकील अर्थात् 377 पत्रावली वाले आदेश दिनांक 9-1-19 को रद्द हो


S. Borkat

9-1-19

सरकारी परोवार 377 वकील अर्थात् 377 आदेश पुरान से खिलाम आकर अर्जिल पत्रावली किया गया ताकिन आदेश गे प्रकरण चलने अोग्य तही पाय जाने से अर्थात् के लिह इल प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाने है। पत्रावली फेसल बुकार हो


S. Borkat
रोहट